कार्यालय वनमंडलाधिकारी, केशकाल वनमण्डल, केशकाल
जिला – कोण्डागाँव, छत्तीसगढ़

☎ Telephone & Fax - 07848-259337 ✉E-mail - dfokeshkal@gmail.com GSTIN 22AAAGK0512N1ZQ

क्रमांक/मा.चि./ 2022–23/4812 केशकाल, दिनांक 13/ 07 /2023

प्रति,

कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग
छ.ग. स्टे, पॉ.ट्रांस.कं. लि. कांकेर
जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

विषय :– Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act,1980 proposed for 132/33 KV Sub- Station area 3.24 ha. At Keshkal Forest Division in District Kondagaon in State of Chhaattisgarh –reg. पंजीयन क्रमांक–**FP/CG/Sub Station/145115/2021**

संदर्भः– भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक,सेक्टर–19 नवारायपुर,अटल नगर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक /FC-IROCH-21/2023/1446(A)/Date 03/07/2023

––000––

विषयातंर्गत सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन,नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/FC-IROCH-21/2023/1446(A)/Date 03/07/2023 के द्वारा आपको प्रकरण में प्रथम चरण की 24 बिन्दुओं पर अधिरोपित शर्तो के तहत् स्वीकृति जारी की गई है। समस्त अधिरोपित शर्तो के पालन प्रतिवेदन पृथक–पृथक अविलंब इस कार्यालय को प्रस्तुत करें, साथ ही स्वीकृति में अधिरोपित शर्त क्रमांक–III के **अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की वर्तमान सिंचित दर 2023–2024 के अनुसार राशि 9,66,666X3.24 प्रति हेक्टेयर की दर से राशि रूपये 3,131,998/(इक्तीस लाख इक्तीस हजार नौ सौ अटानबे रूपये मात्र) एवं शर्त क्रमांक – V "a" में प्रत्याशा मूल्य की राशि सघन वन (ECO CLASS-I) के अनुसार प्रति हेक्टयर 1436670X3.24= 46,54,810/- (छियालीस लाख चौवन हजार आठ सौ दस रूपये मात्र)**

अतः शर्त क्रमांक – III की कुल राशि रूपये	= **3,131,998.00**
एवं शर्त क्रमांक – V "a" वन ECO CLASS-I की कुल राशि रूपये	= **46,54, 810.00**
कुल राशि योग	= 77,86,808

(सतहत्तर लाख छियासी हजार आठ सौ आठ रूपये मात्र)

उक्त राशि ऑन लाईन ई– चालान जनरेट कर कैम्पा खाता में जमा कर चालान की मूल प्रति से इस कार्यालय को अवगत करावें। साथ, ही बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– प्रथम चरण स्वीकृति की छायाप्रति ।

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागाँव (छ.ग.)

पृ॰क्रमांक/मा॰चि॰/ 2023/4813

केशकाल, दिनांक 13/ 07/2023

प्रतिलिपि :—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू—प्रबंध/व.स.अ.) छ.ग. की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक,कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. कलेक्टर, जिला— कोण्डागांव (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल केशकाल
जिला कोण्डागाँव (छ॰ग॰)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर/ रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–25/ 807 रायपुर, दिनांक 31 /03/2023

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)

छत्तीसगढ़

विषयः – **क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दरों का वर्ष 2023–24 में पुनरीक्षण बाबत्।**

संदर्भः
1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/1626/2002 दिनांक 19.03.2002
2. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/एफ 7–8/2012/10–2 दिनांक 25.09.2012
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ कैम्पा/एल.एम–25/ 814 दिनांक 07.04.2022

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 की असिंचित दर रू. 2,74,973/–एवं सिंचित रू. 8,78,787/– में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए असिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये रूपये 3,02,470/– प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिये रूपये 9,66,666 /– प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की जाती है।

1. तदानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु **राशि रूपये** 9,66,666/– प्रति हेक्टेयर एवं असिंचित वृक्षारोपण हेतु 3,02,470/– की दर से प्रस्ताव तैयार करना एवं राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियॉं एवं आस्था मूलक कार्यो का प्रावधान परियोजना में किया जावे।

2. असिंचित दर केवल उन्हीं पुराने प्रकरणों हेतु है जिनमें पूर्व में प्रस्ताव असिंचित दर से तैयार हुए है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर भारत सरकार को जा चुके है।

शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/विविध/ 115–25/ 808 रायपुर, दिनांक 31 /03/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1 **प्रमुख सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।

2 **मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा)**, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर।

3 **समस्त शाखा प्रभारी**, भू–प्रबंध प्रभाग को पालनार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

101-Letter Vividh 2023 (1).doc